

**MEMORANDUM OF ASSOCIATION  
AND RULES**



**NATIONAL BOOK TRUST, INDIA**  
Registered under the Indian Societies  
Registration Act XXI of 1860  
(A5 Green Park, New Delhi-110 016)

**CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETIES  
ACT XXI OF 1860  
No. S. 1439 of 1959-1960**

I hereby certify that "National Book Trust, India" has this day been registered under the Societies Registration Act XXI of 1860.

Given under my hand at New Delhi this Twenty-Eighth day of April One Thousand Nine Hundred and Fifty-Nine.

Fee Rs. 50/- paid.

Sd./- B.K. CHATTERJEE  
Assistant Registrar of Companies  
Delhi

---

No. S. 1439/736

No. 1 Rajpur Road  
9-10-62

The Secretary  
National Book Trust, India  
23 Nizamuddin East  
New Delhi-13

Dear Sir

With reference to your letter No.F.6-6/62 dated 7-9-62 I have to say that the amended Memorandum of Association and Rules and Regulations received therewith have been registered in this office on 5-10-62.

Yours faithfully

Sd./- B.P. JAIN  
Registrar of Societies  
Delhi

## MEMORANDUM OF ASSOCIATION

1. The name of the Society is the "National Book Trust, India" (hereinafter referred to as the "Trust").
2. The registered office of the Trust shall be situated for the time being in Delhi in such premises as the Executive Committee may decide from time to time.
3. The objects for which the Trust is established are:
  - a) to produce and to encourage the production of good literature, and to make such literature available at moderate prices to the public;
  - b) in furtherance of the above objectives to publish more particularly books of the following types in English, Hindi and other languages recognised in the Constitution of India:
    - i) the classical literature of India;
    - ii) outstanding works of Indian authors in Indian languages and their translation from one Indian language to another;
    - iii) translation of outstanding books from foreign languages;
    - iv) outstanding books of modern knowledge for popular diffusion;
  - c) to bring out book lists, arrange exhibitions and seminars and take all necessary steps to make the people book minded;
  - d) to establish or promote the formation of regional Book Trusts in different parts of the country with objectives similar to those of the Trust;
  - e) to take over or amalgamate with any other Society, Trust, Institute or Association, having objects wholly or in part similar to the objects of the Trust, and to aid any such existing institution in such manner as the Executive Committee of the Trust may think fit;

- f) to acquire by gift, purchase, lease or otherwise any property, movable or immovable, which may be necessary or convenient for the purposes of the Trust and to construct, alter and maintain any building or buildings for purposes of the Trust;
  - g) to draw, make, accept, endorse, discount and negotiate Government of India and other promissory notes, bills of exchange, cheques and other negotiable instruments;
  - h) to invest the funds of the Trust in such securities or in such manner as may, from time to time, be determined by the Executive Committee and, from time to time, to sell or transfer such investments;
  - i) to sell, transfer, lease, or otherwise dispose of all or any property of the Trust;
- and
- j) to do all such things as the Trust may consider necessary, incidental or conducive to the attainment of the above objects.
4. The income and property of the Trust, however derived, shall be applied towards the promotion of the objects thereof as set forth in this Memorandum of Association subject, nevertheless, in respect of the expenditure of grants made by Government of India, to such limitations as Government of India may, from time to time, impose. No portion of the income and property of the Trust shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividends, bonus or otherwise, howsoever by way of profit, to the persons who are or at any time have been members of the Trust or to any of them or to any persons claiming through them provided that nothing herein contained shall prevent the payment, in good faith, of remuneration to any member thereof or other person in return for any services rendered to the Trust or for travelling allowance, halting, or other similar charges.
5. The Government of India may appoint one or more persons to review the work and progress of the Trust in such manner as the Government of India may stipulate; and upon receipt of any such report the Government of India may take such action and issue such directions as it may consider necessary in respect of any of the matters dealt with in the report and the Trust shall be bound to comply with such directions.

## **RULES OF THE NATIONAL BOOK TRUST, INDIA**

1. **Short Title :** These rules may be called "Rules of the National Book Trust, India."
2. **Definitions :** In these Rules, unless the context otherwise requires:
  - i) The "Trust" shall mean the National Book Trust, India;
  - ii) the "Chairman" shall mean the Chairman of the National Book Trust, India;
  - iii) the "Executive Committee" shall mean the Body which is constituted as such under Rule 26 as the Executive Committee of the Trust;
  - iv) the "Director" shall mean the Director of the National Book Trust, India;
  - v)
    - i) Words importing the singular number also include the plural number and vice versa;
    - ii) words importing the masculine gender also include the feminine gender.
3. **Members of the Trust :** The Trust shall consist of the following members:
  - a) The Chairman to be appointed by the Government of India;
  - b) one representative of the Ministry of Education;
  - c) one representative of the Sahitya Akademi;
  - d) one representative of the Ministry of Finance;
  - e) one representative of the Ministry of Information and Broadcasting;
  - f) such other persons, not exceeding 14, as the Government of India may, from time to time, nominate.
4. **Roll of Members:** The Trust shall keep a Roll of Members giving their address and occupations and every member shall sign the same.
5. If a Member of the Trust changes his address, he shall notify his new address to the Director, who shall thereupon enter his new address in the Roll of Members. But if he fails to notify his

new address, the address in the Roll of Members shall be deemed to be his address.

6. *Duration of Membership:* Where a member of the Trust becomes a member by reason of the office or appointment he holds, his membership of the Trust shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.
7. Members appointed by the Government of India shall hold office for a period of 3 years.
8. All outgoing members shall be eligible for re-appointment.
9. Should a person appointed or nominated as a member of the Trust under Rule 3, be prevented from attending a meeting of the Trust, a substitute to take his place at that meeting of the Trust may be appointed or nominated by the authority who appoints or nominates the member who is so prevented from attending the meeting. Such substitute shall be entitled to take part in the proceeding of the meeting including the right to vote thereat.
10. Members of the Trust shall cease to be such members if:
  - a) they die, resign, become of unsound mind, become insolvent or be convicted of a criminal offence involving moral turpitude;
  - OR
  - b) they do not attend three consecutive meetings of the Trust without prior leave of the Chairman.
11. A resignation of membership of the Trust shall be tendered to the Director and shall not take effect until it has been accepted on behalf of the Trust by the Chairman.
12. *Vacancies :* Any vacancy in the membership of the Trust caused by any of the reasons mentioned above shall be filled up by nomination by the authorities entitled to make such nominations, and the persons appointed in the vacancy shall hold office only for the unexpired period of the term of the membership.
13. The Chairman of the Trust shall hold office at the pleasure of the Government of India.
14. The Trust shall function notwithstanding that any person who is entitled to be a member by reason of his office is not a member of the Trust for the time being and notwithstanding any other vacancy in its body, whether, by non-appointment or otherwise, and no act or proceeding of the Trust shall be invalidated merely by reason of the happening of any of the

above events or of any defect in the appointment of any of its members.

#### **OFFICERS OF THE TRUST**

15. *Officers:* The officers of the Trust shall be the Chairman, Director and such other persons as may be designated as such by the Executive Committee.
16. The terms and conditions of the service of the Chairman shall be such as may be prescribed by the Government of India from time to time.
17. The Director shall maintain a record of the proceedings of the Trust, the Executive Committee and any of the Committees that may be appointed by the Trust and shall perform the duties hereinafter directed to be performed by the Director and all such other duties as usually pertain to the office of the Director and not otherwise specifically provided for by these Rules and such duties as may be assigned to him by the Chairman.

#### **PROCEEDINGS OF THE TRUST**

*Meetings:*

18. i) The annual general meeting and the half-yearly meeting of the Trust shall be held at such time, date and place as may be determined by the Chairman;  
ii) the Chairman may convene a special meeting of the Trust whenever he thinks fit.
19. i) At the meeting of the Trust to be held in April-May, among other things, the Trust shall consider the annual report of the working of the Trust.  
ii) The Trust shall consider, adopt and submit to the Government the annual report and audited statement of the accounts of the preceding year, together with the audit report, not later than the end of December every year.
20. Except as otherwise provided for in these Rules, all meetings of the Trust shall be called by notice under the signature of the Director.

21. Every notice calling a meeting of the Trust shall state the date, time and place at which such meetings will be held, and shall be served upon every member of the Trust not less than 15 clear days before the day appointed for the meeting.
22. The Chairman shall preside at all meetings of the Trust. If the Chairman is not present at any meeting of the Trust, the Trust shall elect a Chairman from among the members present to preside at such meeting.
23. Seven members of the Trust present in person shall form a quorum at every meeting of the Trust.
24. All decisions of the Trust shall be taken by a majority of vote of the members present and voting. In the case of equality of votes, the Chairman shall have the casting vote. Provided, however, where it may not be convenient to hold meetings of the Trust and it is necessary to transact the business of the Trust, such business may be carried out by circulation amongst all the Trustees and any resolution so circulated and approved by a majority of Members signing shall be as effectual and binding as if such a resolution had been passed at a meeting of the Trust, provided that:
  - i) at least seven Trustees give their views on the resolution, and
  - ii) where a Trustee feels that decision on a particular matter circulated should not be taken by circulation but only a regular meeting of the Trust the decision shall not be taken by circulation.
25. The Director shall keep a record of the proceedings of the Trust, and a copy thereof shall be sent to the Government of India, Ministry of Education.

#### **EXECUTIVE COMMITTEE**

26. *Members:* The affairs of the Trust shall be administered, directed and controlled, subject to rules and regulations and overall guidance of the Trust, by an Executive Committee, which shall consist of the following:
  - i) Chairman of the Trust who shall be ex-officio Chairman of the Executive Committee;



- ii) a representative of the Ministry of Education;
  - iii) a representative of the Ministry of Finance who shall also be the Financial Adviser of the Trust;
  - iv) a representative of the Ministry of Information and Broadcasting;
  - v) not more than three non-official members of the Trust to be nominated by the Government.
27. i) The term of the nominated or appointed members shall be three years at a time. However, the authority which nominates or appoints a person to be a member of the Executive Committee shall have the power to terminate the membership at any time.
- ii) If a member of the Executive Committee becomes a member by reason of the office or appointment he holds, his membership of the Executive Committee shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.
28. Members of the Executive Committee shall cease to be such members if:
- a) they die, resign, become of unsound mind, become insolvent or be convicted of a criminal offence involving moral turpitude;
- or
- b) they do not attend three consecutive meetings of the Executive Committee without prior leave of the Chairman.
29. Resignation from the membership of the Executive Committee shall be tendered to the Director, and shall not take effect until it has been accepted on behalf of the Trust by the Chairman.
30. Any vacancy in the membership of the Executive Committee shall be filled up by appointment or nomination by the authority entitled to make such appointment or nomination, and the person appointed in the vacancy shall hold office only for the unexpired period of the term of membership.
31. The Executive Committee shall function notwithstanding that any person who is entitled to be a member by reason of his office is not a member of the Executive Committee for the time being and notwithstanding any other vacancy in its body, whether by the non-appointment by the authority entitled to make the appointment or otherwise and no act or proceeding of the Executive Committee shall be invalidated merely by reason of the happening of any of the above events or of any defects in the appointment of any of its members.

32. The Director of the Trust shall be the Director of the Executive Committee.

#### **PROCEEDINGS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE**

33. Every meeting of the Executive Committee shall be presided over by the Chairman and, in his absence, by a member chosen by the members present at the meeting to preside for the occasion.
34. Three members of the Executive Committee present in person shall constitute a quorum at any meeting of the Executive Committee.
35. Not less than 7 clear days' notice of every meeting of the Executive Committee shall be given to each member of the Executive Committee.
36. Every notice calling a meeting of the Executive Committee shall state the date, time and place at which such meetings shall be held and shall, except as otherwise provided in these Rules, be under the signature of the Director.
37. The Executive Committee shall hold at least 4 meetings in a year, and not more than four months shall elapse between any two meetings of the body.
38. Each member of the Executive Committee, including the Chairman, shall have one vote and, if there shall be an equality of votes on any question to be decided by the Executive Committee, the Chairman shall, in addition, have a casting vote.
39. Any business which it considers may be necessary for the Executive Committee to perform may be carried out by circulation amongst all its members and any resolution so circulated and approved by a majority of members signing shall be as effectual and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Executive Committee, provided that at least four members of the Executive Committee have recorded their views on the resolution.
40. The Director shall keep a record of the proceedings of the Executive Committee, and a copy thereof shall be sent to the Government of India.

**FUNCTIONS AND POWERS OF THE  
EXECUTIVE COMMITTEE**

41. a) Subject to the overall guidance and control of the Trust, the Executive Committee shall take all necessary steps to carry out the objects of the Trust as set forth in the Memorandum of Association.
- b) Unless otherwise specified, the Executive Committee shall have the management of all the affairs and funds of the Trust, and shall have the authority to generally exercise all the powers of the Trust.
42. *Regulations:*
- a) With the previous approval of the Government of India, the Executive Committee shall have powers to frame regulations, not inconsistent with these Rules, for the administration and management of the affairs of the Trust.
- b) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, such regulations may provide for the following matters:
- i) the preparation and sanction of budget estimates, the sanctioning of expenditure, making and execution of contracts, the investment of the funds of the Trust and the sale alteration of such investment, and account and audit;
  - ii) powers, functions and conduct of business by Advisory Boards or Expert Committees, Standing and other sub-committees, as may be constituted from time to time, and the term of office of their members;
  - iii) procedure for appointment of the officers and the staff of the Trust;
  - iv) the terms and tenure of appointments, emoluments, allowances, rules and discipline and other conditions of service of the officers and staff of the Trust;
  - v) such other matters as may be necessary for the furtherance of the objectives and proper administration of the affairs of the Trust.
43. Subject to these Rules and Regulations, the Executive Committee shall have the powers to appoint all categories of officers and staff for conducting the affairs of the Trust, to fix the amount of their remuneration, subject to budget provision, and to define their duties.

44. The Executive Committee shall have the powers to enter into arrangements with the Government of India, State Governments and other public or private organisations or individuals for furtherance of its objectives, for implementation of its programmes and for securing and accepting endowments, grants-in-aid, donations or gifts to the Trust on mutually agreed terms and conditions, provided that the conditions of such grants-in-aid, donations or gifts shall not be in conflict or inconsistent with the provisions of these Rules.
45. The Executive Committee shall have the power to take over or acquire by purchase, gift or otherwise, from Government and other public bodies or private individuals, movable and immovable properties or other funds, together with any attendant obligations and engagements not inconsistent with the objects of the Trust and provisions of these Rules.
46. The Executive Committee shall have the power to sell or lease any movable or immovable property of the Trust, provided however that no immovable property of the Trust shall be sold without the prior approval of the Government of India.
47. The Executive Committee may, by resolution, appoint Advisory Boards, Expert Committees and/or other special committees for such purposes and with such powers as the Executive Committee may think fit, and the Executive Committee may also dissolve any of the committees and advisory bodies set up by it.

#### **FUNCTIONS AND POWERS OF THE CHAIRMAN**

48. The Chairman shall be the chief executive officer of the Trust.
49. The Chairman shall preside overall the meetings of the Trust and its Executive Committee.
50. The Chairman shall have all necessary powers for carrying on the day-to-day functions of the Trust.
51. The Executive Committee may, by Resolution, delegate to the Chairman such of its powers for the conduct of business as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by the Chairman under the powers delegated under this Rule shall be reported at the next meeting of the Executive Committee.
51. a) In the event of disagreement between representatives of the

Ministry of Finance and the Chairman on financial matters beyond the delegated powers of the National Book Trust, India, the matter may be referred to the Minister of Education and the Finance Minister for a decision.

#### **FUNCTIONS AND POWERS OF THE DIRECTOR**

52. Subject to any order that may be passed by the Executive Committee, the Director, as the principal administrative officer of the Trust, shall be responsible for the proper administration of the affairs of the Trust under the direction and guidance of the Chairman.
53. The Director shall prescribe the duties of all officers and staff of the Trust and shall exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary subject to the Rules and Regulations that may be framed.

#### **FUNDS OF THE TRUST**

54. The funds of the Trust shall consist of the following:
  - i) Grants made by the Government of India for the furtherance of the objects of the Trust;
  - ii) contribution from other sources;
  - iii) income from the assets of the Trust;
  - iv) income from sale of its publications; and
  - v) receipts of the Trust from other sources.
55. The bankers of the Trust shall be the Canara Bank and the State Bank of India. All funds of the Trust shall be paid into the Trust's account with the approved bank and shall not be withdrawn except as follows:
  - i) If the amount does not exceed Rs 5000/-, by a cheque to be signed by the Chairman or the Director or such other officer as may be duly empowered in this behalf by the Chairman.
  - ii) If the amount exceeds Rs 5000/-, by a cheque to be signed by the officer empowered in this behalf under i) and countersigned by the Director or, in the absence of the Director, by such other officer as may be empowered in this behalf by the Chairman.

## FINANCIAL ADVISER

56. The person appointed by the Government representing the Ministry of Finance on the Executive Committee of the Trust shall be the Financial Adviser to the Trust.
57. All matters relating to the affairs of the Trust having financial implication shall be referred to the Financial Adviser for his advice in cases where powers may be delegated to the officers of the Trust under the Regulations. Subject to the provisions of Rule 51 (a), when the advice of the Financial Adviser is not proposed to be accepted, the matter shall be referred to the Trust which shall take such decision as may be deemed fit after the Financial Adviser has been given an opportunity to express his point of view.

## ACCOUNTS AND AUDIT

58. i) The Trust shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annually a Receipt and Payment Account and a list of Assets and Liabilities in such form as may be prescribed by the Government of India, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India or any person authorised by him in this behalf.
- ii) The accounts of the Trust shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India, or any person authorised by him in this behalf, and any expenditure incurred in connection with the audit of the accounts of the Trust shall be payable by the Trust.
- iii) The Comptroller and Auditor General or any person authorised by him in this behalf shall have the same rights, privileges and authority, in connection with the audit of the accounts of the Trust as the Comptroller and Auditor General has in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts cash vouchers and other documents and papers, and inspect any of the offices of the Trust.
- iv) The accounts of the Trust as certified by the Comptroller and Auditor General or any person authorised by him in

this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the Government of India.

#### **ANNUAL REPORT**

59. An annual report of the proceedings of the Trust, and of work undertaken during the year, shall be prepared by the Executive Committee for the information of the Government of India, and of the members of the Trust. A draft of the annual report and the yearly accounts of the Trust, together with the audit report, shall be placed before the Trust at the annual general meeting for its consideration and approval.

#### **AMENDMENT OF RULES AND REGULATIONS**

60. Subject to the provisions of the Societies Registration Act XXI of 1860, the Trust may alter or extend the purposes for which it is established with the previous concurrence of the Government of India:
- a) if the Executive Committee shall submit the proposition for such alteration or extension as aforesaid to the members of the Trust in a written or printed report;
  - b) if the Executive Committee shall convene a special general meeting of the members of the Trust according to the Rules and Regulations for the consideration of the said proposition;
  - c) if such report be delivered or sent by post to every member of the Trust 14 clear days previous to such special general meeting as aforesaid;
  - d) if such proposition be agreed to by the votes of 3/5th of the members of the Trust delivered in person at such general meeting as aforesaid; and
  - e) if such proposition be confirmed by votes of 3/5th of the members of the Trust at the second special general meeting convened by the Executive Committee at an interval of one month after the former meeting.
61. The Rules and Regulations of the Trust, except Rule 60, may be

- altered at any time, with the sanction of the Government of India by a Resolution passed by a majority of the members of the Trust present at any meeting of the Trust, which shall have been duly convened for the purpose.
62. The sanction of the Government of India shall be obtained before the Rules and Regulations of the Trust or any amendment to them is brought into force.



## APPENDIX I

*[Government of India (Ministry of Education) Resolution No. F. 14-9/62-S.W. 2, dated September 28, 1962 regarding reorganisation of the Trust.]*

### SUBJECT: NATIONAL BOOK TRUST

The Government of India have decided to reorganise the National Book Trust established by the Government resolution dated 15-6-1957, to achieve the following objects:

- a) to produce and to encourage the production of good literature, and to make such literature available at moderate prices to the public;
- b) in furtherance of the above objectives, to publish, more particularly books of the following types in English, Hindi and other languages recognised in the Constitution of India:
  - i) the classical literature of India;
  - ii) outstanding works of Indian authors in Indian languages and their translation from one Indian language to another;
  - iii) translation of outstanding books from foreign languages;
  - iv) outstanding books of modern knowledge for popular diffusion;
- c) to bring out book lists, arrange exhibitions and seminars and take all necessary steps to make the people book-minded;
- d) to establish or promote the formation of regional Book Trusts in different parts of the country with objectives similar to those of the Trust;
- e) to take over or amalgamate with any other Society, Trust, Institute or Association, having objects wholly or in part similar to the objects of the Trust, and to aid any such

existing institution in such manner as the Executive Committee of the Trust may think fit;

- f) to acquire by gift, purchase, lease or otherwise any property, movable or immovable, which may be necessary or convenient for the purposes of the Trust and to construct, alter and maintain any building or buildings for purposes of the Trust;
  - g) to draw, make, accept, endorse, discount and negotiate Government of India and other promissory notes, bills of exchange, cheques and other negotiable instruments;
  - h) to invest the funds of the Trust in such securities or in such manner as may, from time to time, be determined by the Executive Committee and, from time to time, to sell or transfer such investments;
  - i) to sell, transfer, lease, or otherwise dispose of all or any property of the Trust; and
  - j) to do all such things as the Trust may consider necessary, incidental or conducive to the attainment of the above objects.
2. The Trust shall be an autonomous body, created by and supported by funds placed at its disposal by the Government. It shall also be competent to receive donations and bequests for carrying out its purposes and promoting its aims and any income that may otherwise accrue to it in the course of its business.
  3. The number of Trustees, excluding the Chairman, shall not exceed 18. The Sahitya Akademi and the Ministry of Education, shall have one representative each. There shall also be one representative each of the Ministries of Scientific Research and Cultural Affairs, Finance and Information and Broadcasting. The Director of the Publications Division shall be an ex-officio member.
  4. The Chairman, as well as the other Trustees, shall be appointed by the Government of India.
  5. The tenure of each Trustee appointed by the Government of India shall be three years but he will be eligible for reappointment. Where a member of the Trust becomes a member by reason of the office or appointment he holds, his membership of the Trust shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

6. The income and property of the Trust, however derived, shall be applied towards the promotion of the objects thereof as set forth in this Resolution, subject nevertheless, in respect of the expenditure of grants made by Government of India, to such limitations as Government of India may, from time to time, impose. No portion of the income and property of the Trust shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividends, bonus or otherwise, howsoever by way of profit, to the persons who are or at any time have been members of the Trust or to any of them or to any persons claiming through them provided that nothing herein contained shall prevent the payment, in good faith, of remuneration to any member thereof or other person in return for any services rendered to the Trust or for travelling allowance, halting or other similar charges.
7. The Government of India may appoint one or more persons to review the work and progress of the Trust in such manner as the Government of India may stipulate; and upon receipt of any such report the Government of India may take such action and issue such directions as it may consider necessary in respect of any of the matters dealt with in the report and the Trust shall be bound to comply with such directions.
8. This supersedes the Government Resolution No.R 14-1/56-B.6 dated 15.6.57

(Sd.)/- R.E. NAIK  
Joint Secretary

EXECUTIVE COMMITTEE

BOARD OF TRUSTEES

FINANCE COMMITTEE

संगम जापन और नियम

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860

के सं. XXI के अधीन

प्रमाण-पत्र

सं. एस. 1439/1959-60

में प्रमाणित करता हूँ कि नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया को आज सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के सं. XXI के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

आज तारीख 28 अप्रैल, 1959 को नई दिल्ली में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

50/-रु. शुल्क अदा किया गया।

ह./-बी.के. चटर्जी

सहायक कंपनी रजिस्ट्रार

दिल्ली

-----

सं. एस. 1439/736

1, राजपुर रोड

तारीख 9.10.1962

सचिव,  
नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया  
23, निजामुद्दीन पूर्व,  
नई दिल्ली-13

प्रिय महोदय,

आपके पत्र सं. फा. 6-6/62 तारीख 7.9.62 के संदर्भ में मुझे कहना है कि संशोधित संगम जापन और उसके साथ प्राप्त नियम एवं विनियम इस कार्यालय में ता. 5.10.1962 को रजिस्ट्रीकृत कर दिए गए हैं।

भवदीय

ह./-बी.पी. जैन

सोसाइटी रजिस्ट्रार

दिल्ली

## संगम जापन

1. सोसाइटी का नाम 'नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया' है (इसे इसमें आगे 'ट्रस्ट' कहा गया है)।
2. ट्रस्ट का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तत्समय दिल्ली में ऐसे परिसर में स्थित होगा जो कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर तय किया जाए।
3. वे उद्देश्य जिनके लिए ट्रस्ट स्थापित किया गया है, इस प्रकार हैं:
  - (क) श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण करना और निर्माण को प्रोत्साहित करना तथा ऐसा साहित्य जनता को कम कीमत पर उपलब्ध कराना;
  - (ख) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में अँग्रेजी, हिंदी और भारत के संविधान में मान्य अन्य भाषाओं में विशेष रूप से निम्न प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करना;
    - (i) भारत का शास्त्रीय साहित्य;
    - (ii) भारतीय भाषाओं में भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट कृतियाँ और एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में उनका अनुवाद;
    - (iii) विदेशी भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों का अनुवाद;
    - (iv) लोक प्रसार के लिए आधुनिक ज्ञान की उत्कृष्ट पुस्तकें;
  - (ग) पुस्तक सूचियाँ निकालना, प्रदर्शनियाँ और संगोष्ठियाँ आयोजित करना तथा लोगों की पुस्तकों में रुचि बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना;
  - (घ) देश के विभिन्न भगों में, ट्रस्ट के उद्देश्यों के समान उद्देश्यों से क्षेत्रीय बुक ट्रस्ट स्थापित करना या उनके निर्माण को बढ़ावा देना;
  - (ङ) किसी भी अन्य सोसाइटी, ट्रस्ट, संस्था या संगम का जिनके उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः ट्रस्ट के उद्देश्यों के समान हैं, प्रबंध ग्रहण करना या उनके साथ आमेलित होना, तथा ऐसी किसी वर्तमान संस्था की ऐसी रीति से, जो ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति ठीक समझे, सहायता करना;
  - (च) कोई संपत्ति, जंगम या स्थावर, जो ट्रस्ट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो दान, क्रय, पट्टे द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित करना तथा ट्रस्ट के प्रयोजनों के लिए किसी भवन या किन्हीं भवनों का निर्माण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना;
  - (छ) भारत सरकार के और अन्य वचनपत्रों, विनियम पत्रों, चैकों तथा अन्य परक्राम्य लिखतों को लिखना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना, उन पर पट्टा देना और (उनके संबंध में) बातचीत करना;

- (ज) ट्रस्ट की निधि को ऐसी प्रतिभूतियों में या ऐसी किसी रीति से विनिहित करना जो कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर तय की जाए तथा ऐसे विनिधानों को समय-समय पर बेचना या अंतरित करना;
- (झ) ट्रस्ट की सभी या किसी संपत्ति को बेचना, अंतरित करना, पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना;

तथा

- (ञ) ऐसी अन्य सब चीजें करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ट्रस्ट आवश्यक, समनुषंगी या सहायक समझे।
4. ट्रस्ट की आय और संपत्ति, चाहे वह कैसे भी हासिल की गई हो, इस संगम जापन में वर्णित ट्रस्ट के उद्देश्यों के उन्नयन में प्रयुक्त की जाएगी, फिर भी वह भारत सरकार के अनुदानों के व्यय के संबंध में ऐसी परिसीमाओं के अधीन रहते हुए प्रयुक्त की जाएगी जो भारत सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिरोपित की जाएं। ट्रस्ट की आय या संपत्ति का कोई भाग, उन व्यक्तियों को जो ट्रस्ट के सदस्य हैं या किसी समय सदस्य रहे हैं अथवा उनमें से किसी को अथवा उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को, लाभांश, बोनस द्वारा या अन्यथा लाभ के द्वारा भी, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः संदत्त नहीं किया जाएगा या अंतरित नहीं किया जाएगा परंतु यह कि इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात ट्रस्ट को प्रदान की गई किसी सेवा के बदले या यात्रा भते, विराम भते या अन्य वैसे प्रभारों के लिए, उसके किसी सदस्य को या अन्य व्यक्ति को, सदाशय से, पारिश्रमिक का भुगतान करने से निवारित नहीं करेगी।
5. भारत सरकार, ट्रस्ट के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को, ऐसी रीति से, जैसी भारत सरकार अनुबंधित करे, नियुक्त कर सकेगी; और ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर भारत सरकार, रिपोर्ट में दिए गए किसी विषय के बाबत ऐसी कार्रवाई कर सकेगी और ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिसे वह आवश्यक समझे तथा ट्रस्ट ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।



## नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के नियम

1. संक्षिप्त नाम: इन नियमों का नाम 'नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के नियम' होगा।
2. परिभाषाएँ: इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:
  - (i) 'ट्रस्ट' से नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया अभिप्रेत होगा;
  - (ii) 'अध्यक्ष' से नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया का अध्यक्ष अभिप्रेत होगा;
  - (iii) 'कार्यकारिणी समिति' से वह समूह अभिप्रेत होगा जिसका गठन नियम 26 के अधीन ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति के रूप में किया जाए;
  - (iv) 'निदेशक' से नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया का निदेशक अभिप्रेत होगा;
  - (v) (i) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शब्द और बहुवचन वाले शब्दों में एक वचन शब्द शामिल होगा;  
(ii) पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द शामिल होंगे।
3. ट्रस्ट के सदस्य: ट्रस्ट निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा:
  - (क) अध्यक्ष जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त होगा;
  - (ख) शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
  - (ग) साहित्य अकादमी का एक प्रतिनिधि;
  - (घ) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
  - (ङ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
  - (च) अधिक से अधिक 14 ऐसे अन्य व्यक्ति जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किए जाएँ।
4. सदस्यों की नामावली: ट्रस्ट सदस्यों की नामावली रखेगा जिसमें उनके पते और व्यवसाय अंकित होंगे तथा उसमें हर सदस्य के हस्ताक्षर होंगे।
5. यदि ट्रस्ट का कोई सदस्य अपना पता बदल लेता है तो वह अपना नया पता निदेशक को सूचित करेगा, जो उसका नया पता सदस्यों की नामावली में दर्ज करेगा। किंतु यदि वह अपना नया पता सूचित करने में असफल रहता है तो सदस्यों की नामावली में अंकित पता उसका पता समझा जाएगा।

6. सदस्यता की अवधि: जहाँ ट्रस्ट का कोई सदस्य अपने द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण सदस्य बन जाता है तो ट्रस्ट की उसकी सदस्यता तभी समाप्त हो जाएगी जब वह उस पर या नियुक्ति पर नहीं रहेगा।
7. भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य तीन वर्ष तक पद धारित करेगा।
8. कार्यकाल पूरा करने वाले सभी सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।
9. यदि नियम 3 के अधीन ट्रस्ट के सदस्य के रूप में नियुक्त या नामित कोई व्यक्ति ट्रस्ट की बैठक में भाग लेने से निवारित किया जाता है तो ट्रस्ट की उस बैठक में उसकी जगह कोई अन्य व्यक्ति उस प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या नामित किया जा सकेगा जिसने उस सदस्य को नियुक्त या नामित किया है जो बैठक में भाग लेने से इस प्रकार निवारित किया गया है। ऐसा प्रतिस्थानी सदस्य बैठक की कार्यवाही में भाग लेने के लिए हकदार होगा और उसे उसमें मत देने का भी अधिकार होगा।
10. ट्रस्ट के सदस्य निम्नलिखित स्थितियों में सदस्य नहीं रहेंगे-
  - (क) निधन होने पर, पद त्याग करने पर, विकृतचित होने पर, दिवालिया होने पर, किसी दंडिक अपराध का सिद्धदोष ठहराये जाने पर जिसमें नैतिक अधःपतन हुआ है,

अथवा

- (ख) अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना, ट्रस्ट की तीन लगातार बैठकों में भाग न लेने पर,
11. ट्रस्ट की सदस्यता का त्यागपत्र निदेशक को दिया जाएगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता।
12. रिक्तियाँ : ऊपर वर्णित किसी कारण से उत्पन्न ट्रस्ट की सदस्यता में कोई रिक्ति नामित करने के लिए हकदार प्राधिकारियों द्वारा नामित करने से भरी जाएगी और उस रिक्ति पर नियुक्त उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए ही पद धारित करेगा।
13. ट्रस्ट का अध्यक्ष भारत सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारित करेगा।
14. ट्रस्ट, इस बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो अपने पद के कारण सदस्य बनने के लिए हकदार है, तत्समय ट्रस्ट का सदस्य नहीं है तथा उसमें कोई अन्य रिक्ति होते हुए भी, चाहे नियुक्ति न होने के कारण या अन्यथा, काम करेगा, तथा ट्रस्ट का कोई कृत्य या कार्यवाही उपरोक्त में से किसी घटना के घटने के कारण या उसके किसी सदस्य की नियुक्ति में मात्र किसी दोष के कारण अमान्य नहीं होगी।

ट्रस्ट के अधिकारी

15. अधिकारीगण : ट्रस्ट के अधिकारी होंगे--अध्यक्ष, निदेशक, और अन्य ऐसे व्यक्ति जो कार्यकारिणी समिति द्वारा इस रूप में पद विहित किए जाएँ।

16. अध्यक्ष की सेवा शर्तें और निबंधन ऐसे होंगे जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएँ।
17. निदेशक, ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति की और ऐसी किसी समिति की जो ट्रस्ट द्वारा नियुक्त की जाए, कार्यवाहियों का रिकार्ड रखेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इसमें आगे निदेशक के पालनार्थ निर्दिष्ट किए जाएँ और ऐसे सब कार्य करेगा जो प्रायः निदेशक के कार्यालय से संबंधित होते हैं और अन्यथा इन नियमों में विनिर्दिष्ट तौर पर उपबंधित नहीं हैं तथा ऐसे कर्तव्य करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाएँ।

#### ट्रस्ट की कार्यवाहियाँ

बैठकें :

18. (i) ट्रस्ट की वार्षिक साधारण बैठक और अर्धवार्षिक बैठक ऐसे समय, तारीख को और स्थान पर आयोजित की जाएगी जो अध्यक्ष द्वारा तय की जाए;  
(ii) अध्यक्ष जब कभी ठीक समझे ट्रस्ट की विशेष बैठक बुला सकेगा।
19. (i) अप्रैल-मई में की जाने वाली ट्रस्ट की बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, ट्रस्ट अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करेगा;  
(ii) ट्रस्ट पूर्ववर्ती वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा विवरण पर विचार करेगा और उसे सरकार को लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्रतिवर्ष अधिक से अधिक दिसंबर के अंत तक, प्रस्तुत करेगा।
20. इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ट्रस्ट की सब बैठकें निदेशक के हस्ताक्षर से, नोटिस द्वारा बुलाई जाएँगी।
21. ट्रस्ट की बैठक के नोटिस में वह तारीख, समय और स्थान बताया जाएगा जब और जहाँ पर ऐसी बैठक आयोजित की जाएगी, तथा वह नोटिस ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य पर बैठक के लिए नियत दिन से कम से कम 15 दिन पूर्व, तामील किया जाएगा।
22. ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा, यदि अध्यक्ष ट्रस्ट की किसी बैठक में उपस्थित नहीं है तो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ट्रस्ट उपस्थित सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगा।
23. ट्रस्ट की हर बैठक में गणपूर्ति स्वयं उपस्थित ट्रस्ट के सात सदस्यों से मिलकर होगी।
24. ट्रस्ट के सभी फैसले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा बहुमत से लिए जाएँगे। मत बराबर-बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा परंतु जहाँ ट्रस्ट की बैठकें करना सुविधाजनक नहीं है और ट्रस्ट के कार्य का संचालन आवश्यक है, वहाँ ऐसा कार्य ट्रस्टियों में परिचालन

द्वारा किया जा सकेगा और इस प्रकार परिचालित तथा हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों द्वारा बहुमत से अनुमोदित कोई भी संकल्प प्रभावी होगा और ऐसे आबद्धकर होगा मानो ऐसा संकल्प ट्रस्ट की बैठक में पारित किया गया हो, परंतु यह कि :

- (i) कम-से-कम सात ट्रस्टी संकल्प पर अपना मत प्रकट करें, और
  - (ii) जहाँ कोई ट्रस्टी यह महसूस करे कि परिचालित किए गए किसी विषय विशेष पर फैसला परिचालन द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि ट्रस्ट की नियमित बैठक में ही लिया जाना चाहिए तो यह फैसला परिचालन द्वारा नहीं लिया जाएगा।
25. ट्रस्ट की कार्यवाहियों का रिकार्ड निदेशक रखेंगे और उसकी एक प्रति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाएगी।

#### कार्यकारिणी समिति

26. सदस्यगण: ट्रस्ट के कार्यों का संचालन, निदेशन और नियंत्रण, ट्रस्ट के नियमों-विनियमों और संपूर्ण मार्ग-दर्शन के अधीन रहते हुए कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा; कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

- (i) ट्रस्ट का अध्यक्ष, जो कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;
  - (ii) शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
  - (iii) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो ट्रस्ट का वित्तीय सलाहकार भी होगा;
  - (iv) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
- (अ) ट्रस्ट के अधिक-से-अधिक तीन अशासकीय सदस्य जो सरकार द्वारा नामित

किए जाएँगे।

27. (i) नामित या नियुक्त किए गए सदस्यों का कार्यकाल एक बार में तीन वर्ष होगा। फिर भी उस प्राधिकारी को, जो किसी व्यक्ति को कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में नामित या नियुक्त करता है, उस सदस्यता को किसी भी समय, समाप्त करने की शक्ति होगी।

(ii) यदि कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य उस पद या नियुक्ति के कारण जो उनके द्वारा धारित है, सदस्य बनता है, तो कार्यकारिणी समिति की उसकी सदस्यता तभी समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद या नियुक्ति पर नहीं रहेगा।

28. कार्यकारिणी समिति के सदस्य ऐसे सदस्य नहीं रहेंगे यदि:

- (क) निधन हो जाता है, पद त्याग कर देते हैं, विकृतचित्त हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, या ऐसे दांडिक अपराध के सिद्धदोष ठहराये जाते हैं जिसमें नैतिक अधःपतन हुआ है;

अथवा

- (ख) अध्यक्ष की पूर्ण अनुमति के बिना, कार्यकारिणी समिति की लगातार तीन बैठकों में भाग नहीं लेते हैं।
29. कार्यकारिणी समिति की सदस्यता से त्यागपत्र निदेशक को दिया जाएगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए।
30. कार्यकारिणी समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति, नियुक्ति या नामनिर्देशन के लिए हकदार प्राधिकारी द्वारा, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति में नियुक्त व्यक्ति सदस्यता के शेष कार्यकाल तक पद पर रहेगा।
31. कार्यकारिणी समिति, इस बात के होते हुए भी कि कोई व्यक्ति जो अपने पद के कारण सदस्य बनने के लिए हकदार है, तत्समय कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं है और उसके गठन में किसी अन्य रिक्ति के होते हुए भी कार्य करेगी, चाहे वह रिक्ति इस कारण हो कि नियुक्ति करने के लिए हकदार प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति नहीं की गई है या अन्यथा और कार्यकारिणी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही उपरोक्त घटनाओं में से किसी घटना के घटने के कारण अथवा उसके किसी सदस्य की नियुक्ति में मात्र किसी दोष के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।
32. ट्रस्ट का निदेशक कार्यकारिणी समिति का निदेशक होगा।

कार्यकारिणी समिति की कार्यवाहियाँ

33. कार्यकारिणी समिति की हर बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए चुना गया व्यक्ति करेगा।
34. वैयक्तिक रूप से उपस्थित कार्यकारिणी समिति के तीन सदस्यों से कार्यकारिणी समिति की किसी भी बैठक की गणपूर्ति हो जाएगी।
35. कार्यकारिणी समिति की हर बैठक के लिए कम-से-कम 7 दिन की सूचना कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी।
36. कार्यकारिणी समिति की बैठक की हर सूचना में वह तारीख, समय और स्थान अंकित होगा जब और जहाँ पर ऐसी बैठक की जाएगी और वह सूचना नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, निदेशक के हस्ताक्षर से जारी की जाएगी।

37. कार्यकारिणी समिति एक वर्ष में कम-से-कम 4 बैठकें करेगी और उसकी किन्हीं दो बैठकों के बीच 4 मास से अधिक का अंतराल नहीं होगा।
38. अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि कार्यकारिणी समिति के विनिश्चयार्थ किसी प्रश्न पर मतों की संख्या बराबर-बराबर है तो अध्यक्ष का एक अतिरिक्त मत निर्णायक मत होगा।
39. कोई कार्य, जिसे कार्यकारिणी समिति अपने द्वारा किया जाना आवश्यक समझती है, उसके सभी सदस्यों में परिचालन द्वारा किया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित तथा हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के बहुमत से अनुमोदित कोई संकल्प वैसे ही प्रभावी और आबद्धकर होगा मानो ऐसा संकल्प कार्यकारिणी समिति की बैठक में पारित किया गया हो, परंतु तभी जब कार्यकारिणी समिति के कम से कम चार सदस्यों ने उस संकल्प पर अपने विचार दर्ज किए हों।
40. कार्यकारिणी समिति की कार्यवाहियों का रिकार्ड निदेशक रखेगा और उसकी एक प्रति भारत सरकार को भेजी जाएगी।

#### कार्यकारिणी समिति के कार्य और शक्तियाँ

41. (क) कार्यकारिणी समिति, ट्रस्ट के संपूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, संगम ज्ञापन में वर्णित ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
- (ख) जब तक की अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, कार्यकारिणी समिति ट्रस्ट के समस्त कार्यों और निधि का प्रबंध करेगी तथा उसे ट्रस्ट की सभी शक्तियों का व्यापक प्रयोग करने का प्राधिकार होगा।
42. विनियम :
  - (क) भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कार्यकारिणी समिति को, ट्रस्ट के कार्य संचालन और प्रबंध के लिए, विनियम बनाने की शक्तियाँ होंगी जो इन नियमों से असंगत न हों।
  - (ख) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन विनियमों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा :
    - (i) बजट प्राक्कलनों की तैयारी और मंजूरी, व्यय की मंजूरी, संविदाएँ करना और उनका निष्पादन, ट्रस्ट की निधि का विनिधान तथा ऐसे विनिधान का विक्रय, अनुकल्प और लेखा तथा लेखा-परीक्षा;
    - (ii) सलाहकार बोर्डों या विशेषज्ञ समितियों, स्थायी और अन्य उप-समितियों, जो भी समय-समय पर गठित की जाएँ, की शक्तियाँ कार्य और कार्य-संचालन, तथा उनके सदस्यों का कार्य काल;
    - (iii) ट्रस्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया;

- (iv) ट्रस्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की पदावधि और कार्यकाल, परिलब्धियाँ, भत्ते, नियम और अनुशासन तथा अन्य सेवा शर्तें;
- (अ) ऐसे अन्य मामले जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति और उसके कार्यों के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।
43. इन नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, कार्यकारिणी समिति को ट्रस्ट के कार्य करने के लिए प्रावधान के अधीन रहते हुए सभी प्रवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने, उनकी पारिश्रमिक राशि नियत करने और उनके कर्तव्यों को परिनिश्चित करने की शक्ति होगी।
44. कार्यकारिणी समिति को, ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उसके कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए, परस्पर सहमत निबंधनों और शर्तों पर विन्यास, सहायता अनुदान, संदान या दान प्राप्त और स्वीकार करने के लिए, भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट संगठनों के साथ अथवा व्यक्तियों के साथ समझौता करने की शक्ति होगी, परंतु ऐसे सहायता अनुदान, संदान या दान की शर्तें इन नियमों के उपबंधों के विरुद्ध या असंगत नहीं होंगी।
45. कार्यकारिणी समिति को, सरकार से और अन्य लोक निकायों या प्राइवेट व्यक्तियों से, जंगम और स्थावर संपत्तियाँ या अन्य निधि क्रय या दान द्वारा या अन्यथा वर्तमान बाध्यताओं और आबंधों के साथ, जो ट्रस्ट के उद्देश्यों और इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हों, ग्रहण करने या अर्जित करने की शक्ति होगी।
46. कार्यकारिणी समिति को ट्रस्ट की कोई भी जंगम या स्थावर संपत्ति बेचने या पट्टे पर देने की शक्ति : परंतु ट्रस्ट की कोई भी स्थावर संपत्ति भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं बेची जाएगी।
47. कार्यकारिणी समिति, ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों के साथ, जो कार्यकारिणी समिति द्वारा ठीक समझी जाएँ, सलाहकार बोर्ड, विशेषज्ञ समितियाँ और/या अन्य विशेष समितियाँ, संकल्प द्वारा, नियुक्त कर सकेगी तथा कार्यकारिणी समिति अपने द्वारा स्थापित किसी समिति या सलाहकार बोर्ड को विघटित भी कर सकेगी।

#### **अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ**

48. अध्यक्ष, ट्रस्ट का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।
49. अध्यक्ष ट्रस्ट और उसकी कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
50. अध्यक्ष को ट्रस्ट के रोजमर्रा के कार्य करने के लिए सभी आवश्यक शक्तियाँ होंगी।

51. कार्यकारिणी समिति, कार्य संचालन के लिए अध्यक्ष को संकल्प द्वारा अपनी ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगी जो वह ठीक समझे, परंतु शर्त यह होगी कि इस नियम के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में रखी जाएगी।
51. (क) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया की प्रत्यायोजित शक्तियों के परे, वित्तीय मामले में वित्त मंत्रालय और अध्यक्ष के बीच असहमति की स्थिति में, यह मामला शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री को, फैसले के लिए, भेजा जा सकेगा।

#### निदेशक के कार्य और शक्तियाँ

52. कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित किसी आदेश के अधीन, ट्रस्ट के प्रधान प्रशासनिक अधिकारी के नाते, निदेशक, अध्यक्ष के निदेशन और मार्गदर्शन में, ट्रस्ट के कार्यों के उचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।
53. निदेशक ट्रस्ट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित करेगा तथा ऐसे नियम-विनियमों के अधीन रहते हुए जो विरचित किए जाएँ, ऐसे पर्यवेक्षण और अनुशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो।

#### ट्रस्ट की निधि

54. ट्रस्ट की निधि नीचे दिए अनुसार होंगी :
- (i) ट्रस्ट के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए अनुदान;
  - (ii) अन्य स्रोतों से अंशदान;
  - (iii) ट्रस्ट की आस्तियों से आय;
  - (iv) उसके प्रकाशनों के विक्रय से आय, और
- (अ) अन्य स्रोतों से ट्रस्ट की प्राप्तियाँ।
55. ट्रस्ट के बैंक केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक होंगे। ट्रस्ट की समस्त निधि अनुमोदित बैंक के यहाँ ट्रस्ट के खाते में जमा की जाएँगी और निम्न प्रकार ही निकाली जा सकेगी, अन्यथा नहीं:
- (i) यदि रकम 5000/-रु. से अधिक नहीं है तो चेक द्वारा, जिस पर अध्यक्ष या निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जिसे इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा विधिवत अधिकार दिया गया हो;



- (ii) यदि रकम 5000/-रु. से अधिक है तो चेक द्वारा जिस पर (i) के अधीन इस निमित्त अधिकार प्रदान किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे तथा निदेशक के अथवा निदेशक की अनुपस्थिति में, ऐसे अन्य अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होंगे जिसे अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त अधिकार दिया गया हो।

#### वित्तीय सलाहकार

56. ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति ट्रस्ट का वित्तीय सलाहकार होगा।
57. वित्तीय निहितार्थ रखने वाले ट्रस्ट के कार्यों से संबंधित सभी मामले उन स्थितियों में, जिनमें विनियमों के अधीन शक्तियाँ ट्रस्ट के अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जा सकेंगी, वित्तीय सलाहकार को, सलाह के लिए भेजे जाएँगे।

नियम 51 (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब वित्तीय सलाहकार की सलाह स्वीकार किए जाने के लिए प्रस्तावित नहीं है तो वह मामला ट्रस्ट को भेजा जाएगा। ट्रस्ट, वित्तीय सलाहकार को अपना दृष्टिकोण बताने का मौका दिए जाने के पश्चात ऐसा फैसला कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे।

#### लेखा और लेखापरीक्षा

- 58.(i) ट्रस्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के परामर्श से ऐसे प्रारूप में जो भारत सरकार द्वारा विहित किया जाए उचित लेखा और अन्य सुसंगत रिकार्ड रखेगा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा तथा आस्तियों और दायित्वों की एक सूची हर वर्ष तैयार करेगा।
- (ii) ट्रस्ट के लेखाओं की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षा हर वर्ष की जाएगी और ट्रस्ट के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय ट्रस्ट द्वारा देय होगा।
- (iii) ट्रस्ट के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को वही शक्तियाँ होंगी जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सरकार के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त हैं, तथा विशिष्ट रूप से, पुस्तकों, लेखा, नकदी, वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागज मांगने और ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (iv) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित ट्रस्ट के लेखा, उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, हर वर्ष भारत सरकार को भेजे जाएँगे।

## वार्षिक रिपोर्ट

59. कार्यकारिणी समिति ट्रस्ट की कार्यवाहियों की और वर्ष के दौरान हाथ में लिए गए कार्य की वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार एवं ट्रस्ट के सदस्यों की सूचनार्थ तैयार करेगी। वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप और ट्रस्ट के वार्षिक लेखा, लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ, ट्रस्ट के समक्ष उसकी वार्षिक साधारण बैठक में, उसके विचार और अनुमोदन के लिए पेश किए जाएँगे।

## नियमों और विनियमों के संशोधन

60. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का सं. XXI ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ट्रस्ट, भारत सरकार की पूर्व सहमति से, उन प्रयोजनों में परिवर्तन कर सकेगा या उनका विस्तार कर सकेगा जिनके लिए वह स्थापित किया गया है :
- (क) यदि कार्यकारिणी समिति यथापूर्वोक्त ऐसे परिवर्तन या विस्तार का प्रस्ताव लिखित या मुद्रित रिपोर्ट में ट्रस्ट के सदस्यों को प्रस्तुत करेगी;
- (ख) यदि कार्यकारिणी समिति उक्त प्रस्ताव पर विचार के लिए नियमों और विनियमों के अनुसार ट्रस्ट के सदस्यों की विशेष साधारण बैठक बुलाएगी;
- (ग) यदि ऐसी रिपोर्ट यथापूर्वोक्त ऐसी विशेष साधारण बैठक से स्पष्ट 14 दिन पूर्व ट्रस्ट के सदस्यों को दी जाए या भेज दी जाए;
- (घ) यदि ऐसे प्रस्ताव पर, यथापूर्वोक्त ऐसी साधारण बैठक में वैयक्तिक रूप से डाले गए ट्रस्ट के सदस्यों की 3/5 मतों से सहमति है; और
- (ङ) यदि ऐसे प्रस्ताव की, कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्ववर्ती सभा के एक मास के अंतराल पर बुलाई गई दूसरी विशेष साधारण बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा 3/5 मतों से पुष्टि हो जाए।
61. नियम 60 के सिवाय, ट्रस्ट के नियमों और विनियमों में, ट्रस्ट की किसी भी बैठक में, जो इस प्रयोजन के लिए विधिवत बुलाई गई हो उपस्थित ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, भारत सरकार की मंजूरी से, किसी भी समय, परिवर्तन किए जा सकेंगे।
62. ट्रस्ट के नियमों और विनियमों या उनके किसी संशोधन को प्रवृत्त किए जाने से पूर्व भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त की जाएगी।

परिशिष्ट-1

(ट्रस्ट के पुनर्गठन के विषय में भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय) का संकल्प सं. फा. 14-9/62-एस.डब्ल्यू. 2, तारीख 28 सितंबर, 1962)

**विषय : नेशनल बुक ट्रस्ट**

भारत सरकार ने सरकारी संकल्प तारीख 15.6.1957 द्वारा स्थापित नेशनल बुक ट्रस्ट को, निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पुनर्गठित करने का फैसला किया है :

- (क) श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण करना या निर्माण को प्रोत्साहित करना तथा ऐसा साहित्य जनता को कम कीमत पर उपलब्ध कराना;
- (ख) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में अँग्रेजी, हिंदी और भारत के संविधान में मान्य अन्य भाषाओं में विशेष रूप से निम्नलिखित प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करना;
  - (i) भारत का शास्त्रीय साहित्य;
  - (ii) भारतीय भाषाओं में भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट कृतियाँ और एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में उनका अनुवाद;
  - (iii) विदेशी भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों का अनुवाद;
  - (iv) लोक प्रचार के लिए आधुनिक ज्ञान की उत्कृष्ट पुस्तकें;
  - (ग) पुस्तक सूचियाँ निकालना, प्रदर्शनियाँ और संगोष्ठियाँ आयोजित करना तथा लोगों की पुस्तकों में रुचि बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना;
  - (घ) देश के विभिन्न भागों में, ट्रस्ट के उद्देश्यों के समान उद्देश्यों से क्षेत्रीय बुक ट्रस्ट स्थापित करना या उनके निर्माण को बढ़ावा देना;
  - (ङ) किसी भी अन्य सोसाइटी, ट्रस्ट, संस्था या संगम का जिनके उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः ट्रस्ट के उद्देश्यों के समान हैं, प्रबंध ग्रहण करना या उनके साथ आमेलित होना, तथा ऐसी किसी वर्तमान संस्था की ऐसी रीति से, जो ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति ठीक समझे, सहायता करना;
  - (च) कोई संपत्ति, जंगम या स्थायर, जो ट्रस्ट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो दान, क्रय, पट्टे द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित करना तथा ट्रस्ट के प्रयोजनों के लिए किसी भवन या किन्हीं भवनों का निर्माण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना;
  - (छ) भारत सरकार के और अन्य वचनपत्रों, विनियम पत्रों, चेकों तथा अन्य परक्राम्य लिखतों को लिखना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना, उन पर बट्टा देना और (समझौते की) बातचीत करना;

- (ज) ट्रस्ट की निधि को ऐसी प्रतिभूतियों में या ऐसी किसी रीति से विनिहित करना जो कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर तय की जाए तथा ऐसे विनिधानों को समय-समय पर बेचना या अंतरित करना;
- (झ) ट्रस्ट की सभी या किसी संपत्ति को बेचना, अंतरित करना, पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना;

तथा

- (1) ऐसी अन्य सब चीजें करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ट्रस्ट आवश्यक, समनुषंगी या सहायक समझे।
2. ट्रस्ट, सरकार द्वारा उसके नियंत्रण में दी गई निधि से तैयार किया गया एक स्थायक निकाय होगा। यह अपने प्रयोजनों को पूरा करने और उद्देश्यों के उन्नयन के लिए दान और वसीयत तथा कोई आय प्राप्त करने के लिए भी, जो उसके कारबार के दौरान उसे अन्यथा प्राप्त हो, सक्षम होगा।
3. अध्यक्ष सहित ट्रस्टियों की संख्या 18 से अधिक नहीं होगी। साहित्य अकादमी और शिक्षा मंत्रालय का एक-एक प्रतिनिधि होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों, वित्त तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों का भी एक-एक प्रतिनिधि होगा। प्रकाशन विभाग का निदेशक पदेन सदस्य होगा।
4. अध्यक्ष एवं अन्य ट्रस्टी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
5. भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक ट्रस्टी का कार्यकाल तीन वर्ष होगा किंतु वह पुनर्नियुक्ति के लिए हकदार होगा। जहाँ ट्रस्ट का कोई सदस्य अपने पद या नियुक्ति के कारण सदस्य बनता है वहाँ उसकी ट्रस्ट की सदस्यता तभी समाप्त हो जाती है जब वह उस पद या नियुक्ति पर नहीं रहता।
6. ट्रस्ट की आय और संपत्ति, चाहे वह कैसे भी हासिल की गई हो, इस संकल्प में वर्णित ट्रस्ट के उद्देश्यों के उन्नयन में प्रयुक्त की जाएगी, फिर भी वह भारत सरकार के अनुदानों के व्यय के संबंध में ऐसी परिसीमाओं के अधीन रहते हुए प्रयुक्त की जाएगी जो भारत सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिरोपित की जाएँ, ट्रस्ट की आय या संपत्ति का कोई भाग, उन व्यक्तियों को जो ट्रस्ट के सदस्य हैं या किसी समय सदस्य रहे हैं अथवा उनमें से किसी को अथवा उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को, लाभांश, बोनस द्वारा या अन्यथा लाभ के द्वारा भी, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः संदत्त नहीं किया जाएगा या अंतरित नहीं किया जाएगा परंतु यह कि इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात, ट्रस्ट को प्रदान की गई किसी सेवा के बदले या यात्रा भत्ते, विराम भत्ते या अन्य वैसे प्रभारों के लिए, उसके किसी सदस्य को या अन्य व्यक्ति को, सदाशय से, पारिश्रमिक का भुगतान करने से निवारित नहीं करेगी।
7. भारत सरकार, ट्रस्ट के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को, ऐसी रीति से, जिसे भारत सरकार अनुबंधित करे, नियुक्त कर सकेगी; और ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर भारत सरकार, रिपोर्ट में दिए गए किसी विषय की बाबत ऐसी कार्रवाई कर सकेगी और ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिसे वह आवश्यक समझे तथा ट्रस्ट ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

8. इस संकल्प द्वारा सरकारी संकल्प सं. फा. 14-1/56-बी. 6 तारीख 15.6.1957 को अधिकृत किया जाता है।

ह./आर.पी. नायक

संयुक्त सचिव

EXECUTIVE COMMITTEE

BOARD OF TRUSTEES

FINANCE COMMITTEE